(9)

न्यायालय राजस्व मण्डल, म0प्र0 ग्वालियर

समक्ष

एस0एस0अली

सदस्य

प्रकरण क्रमांक : तीन–निगरानी/सतना/भू.रा./2017/2595 – विरूद्ध आदेश दिनांक 8–8–2017 – पारित व्दारा – नायव तहसीलदार प्रभारी वृत्त चोरहटा तहसील रामपुर वाघेलान जिला सतना – प्रकरण क्रमांक 2 अ–27/14–15

विद्यादेवी पुत्री रामकिशोर पत्नि बृजमोहर प्रसाद द्विवेदी
ग्राम जनार्दनपुर तहसील रामपुर वाघेलान जिला सतना

---आवेदक

विरूद्ध

1– दामोदर प्रसाद 2– कमलेश्वर प्रसाद पुत्रगण गयाप्रसाद
3–– लक्ष्मीकुमार 4– राकेश कुमार पुत्रगण कल्याणप्रसाद
5– वृजमोहन पुत्र महेश प्रसाद द्विवेदी
6– मृत्युंजय प्रसाद पुत्र वृजमोहन द्विवेदी
सभी ग्राम जनार्दनपुर तहसील रामपुर वाघेलान जिला सतना

---अनावेदकगण

(आवेदक के अभिभाषक श्री योगेन्द्र सिंह भदौरिया)
(अनावेदकगण के अभिभाषक श्री अरबिन्द पाण्डे)

आ दे श

(आज दिनांक 3–8–2018 को पारित)

यह निगरानी नायव तहसीलदार प्रभारी वृत्त चोरहटा तहसील रामपुर वाघेलान जिला सतना के प्रकरण क्रमांक 2 अ–27/14–15 में पारित आदेश दिनांक 8–8–2017 के विरूद्ध म0प्र0 भू राजस्व संहिता, 1959 की धारा 50 के अंतर्गत प्रस्तुत की गई है।

2/ प्रकरण का सारॉश यह है कि अनावेदक क3मांक 1 व 2 ने नायव तहसीलदार प्रभारी वृत्त चोरहटा तहसील रामपुर वाघेलान जिला सतना के समक्ष म0प्र0 भू राजस्व संहिता 1959 की धारा 178 सहपठित 110 के अंतर्गत आवेदन प्रस्तुत कर सामिलाती भूमि के बटवारा किये जाने की मांग की, जिस पर निगरानी नायव तहसीलदार प्रभारी वृत्त चोरहटा तहसील रामपुर वाघेलान जिला सतना ने प्रकरण कमांक 2 अ-27/14-15 पंजीबद्व किया एंव पक्षकारों की सुनवाई प्रारंभ की। सुनवाई के दौरान आवेदक ने आपत्ति आवेदन प्रस्तुत किया, जिस पर नायव तहसीलदार ने अंतरिम आदेश दिनांक 8-8-17 पारित किया तथा निर्णय लिया कि आपत्ति आवेदन का उत्तर आवेदकगण देना नहीं चाहते है आपत्ति आवेदन का निराकरण अंतिम निर्णय में किया जावेगा। नायव तहसीलदार के इसी अंतरिम आदेश के विरूद्व यह निगरानी प्रस्तुत की गई है।

3/ उभय पक्ष के अभिभाषकों के तर्क सुने तथा अधीनस्थ न्यायालय के अभिलेख का अवलोकन किया गया।

4/ उभय पक्ष के अभिभाषकों के तर्को पर विचार करने एंव अधीनस्थ न्यायालय के अभिलेख के अवलोकन से परिलक्षित है कि विचाराधीन प्रकरण में यह देखना है कि नायव तहसीलदार प्रभारी वृत्त चोरहटा तहसील रामपुर वाघेलान जिला सतना ने अंतरिम आदेश दिनांक 8-8-17 से आपत्ति आवेदन का निराकरण अंतिम निर्णय में करने वावत् दिये गये आदेश में त्रृटि की है अथवा नहीं ? अधीनस्थ न्यायालय के अभिलेख में आये तथ्यों से परिलक्षित है कि आवेदक की ओर से नायव तहसीलदार के समक्ष आपत्ति आवेदन प्रस्तुत कर मूल दावे की प्रचलनशीलता पर आपत्ति की है तब ऐसी आपत्ति पर तर्क सुने जाकर प्रथमतः आपत्ति का निराकरण किया जावेगा, तदुपरांत प्रकरण में आगे सुनवाई की जावेगी, किन्तु नायव तहसीलदार ने अंतरिम आदेश दिनांक 8-8-17 में यह निर्णय लेने में भूल की है कि आपत्ति आवेदन का निराकरण

अंतिम निर्णय में किया जावेगा, जिसके कारण नायव तहसीलदार का अंतरिम आदेश दिनांक 8-8-17 दोषपूर्ण होने से स्थिर रखे जाने योग्य नहीं है।

5/ उपरोक्त विवेचना के आधार पर निगरानी आंशिक रूप से स्वीकार की जाकर नायव तहसीलदार प्रभारी वृत्त चोरहटा तहसील रामपुर वाघेलान जिला सतना के प्रकरण क्रमांक 2 अ-27/14-15 में पारित आदेश दिनांक 8-8-2017 त्रुटिपूर्ण होने से निरस्त किया जाकर निर्देश दिये जाते हैं कि वह उभयपक्ष की सुनवाई कर आपत्ति आवेदन का निराकरण करें, तत्पश्चात् प्रकरण में विधि के प्रावधानों के अनुरूप कार्यवाही की जावे।

(एस0एस0अली)
सदस्य
राजस्व मण्डल
मध्य प्रदेश ग्वालियर